322

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 6 मार्च, 1997 (फाल्गुन 15, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री मांगीलाल भण्डारी, रणजीत सिंह गुणवान, करण सिंह वर्मा, सदस्य, सीहोर शुगर मिल द्वारा गन्ने का तय मूल्य न दिये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, बस्तर जिले के जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में रेगिंग को लेकर एक छात्र की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री जयंत कुमार मलैया, सदस्य, दमोह जिले में विद्युत पम्प कनेक्शन देने में अनियमितता होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री लल्लू सिंह, बनवारीलाल अग्रवाल, पूरनमल शर्मा, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम कौड़िया में डकैती व हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, बच्चन नायक, सदस्य, प्रदेश के कई क्षेत्रों में तेंदूपत्ता नीलामी में भ्रष्टाचार होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम मातोली में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्रीमती करुणा शुक्ला, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, रायगढ़ जिले के कांसाबेल थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा एक आदिवासी युवक की पिटाई किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) दीवान चन्द्रभान सिंह, सदस्य, नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील में पाला पड़ने से फसलों की क्षति होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, ग्वालियर नगर निगम में भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम टूटी में एक परिवार का मकान जलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, चिरोंजीलाल सोनकर, सदस्य, विदिशा के फ्रीगंज मोहल्ले में लूट की घटना घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम कवर्धा से सागौन की लकड़ी चोरी होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) कुंवर विजय शाह, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम सिराली के निवासियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले की भाण्डेर नहर प्रणाली से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री बच्चन नायक, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम कुम्हेरी में नहर का पानी भरने से फसलों की क्षति होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री मोती कश्यप, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम शहपुरा निवासी एक व्यक्ति की पुलिस पिटाई से मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) सर्वश्री किशोरीलाल वर्मा, कैलाश कुण्डल, सदस्य, खण्डवा जिले सहित प्रदेश की मंडियों में कपास की खरीदी न होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

3. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 263-खाचरोद के सदस्य, श्री दिलीप सिंह गुर्जर, को विधान सभा के फरवरी-मार्च, 1997 सत्र की बैठकों में दिनांक 5 मार्च से 21 मार्च, 1997 तक अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम करखेड़ी में आंगनबाड़ी भवन बनाये जाने,

(2) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -
(क) ग्राम छिंदहाई पिपरिया के गोधन काप हार में विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने, तथा
(ख) ग्राम विलायतकला स्थित स्टापडेम की मरम्मत कराये जाने,

(3) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, जबलपुर जिले के देवलिया जलाशय व केन नदी पर बांध बनाये जाने,

(4) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, राजधानी भोपाल के -
(क) वन विहार से लगे तालाब के किनारे तार फेंसिंग कराये जाने, तथा
(ख) वार्ड क्रमांक 31 ग्राम सेवनिया गोंड में शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोले जाने,

(5) श्री किशोरीलाल वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम कोलाडिट में हाई स्कूल खोले जाने,

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -
(क) ग्राम खुर्द की अनुसूचित जाति बस्ती में विद्युत व्यवस्था कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम छान के पास पहूज नदी पर पुल बनाये जाने,

(7) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सीधी जिले के -
(क) ग्राम परसोहर-बम्हनी में पूर्ण विद्युतीकरण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम कनई में पूर्ण विद्युतीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 7 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. वर्ष 1997-98 के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
1 घन्टा	(1)	मांग संख्या 47	जनशक्ति नियोजन विभाग तथा तकनीकी शिक्षा
		मांग संख्या 70	जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या 79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या 05	जेलें
		मांग संख्या 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण
		मांग संख्या 75	दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-जेल
2 घन्टे 30 मि.	(3)	मांग संख्या 03	पुलिस
		मांग संख्या 04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		मांग संख्या 32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 53	दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पुलिस.
2 घन्टे	(4)	मांग संख्या 11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.

8. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 20 फरवरी, 1997 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्रमांक 1426) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री मदन गोपाल सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 5 मार्च, 1997

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा